"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 272] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 सितम्बर 2011—आश्विन 6, शक 1933

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह, भवन रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर, 2011

अधिसूचना

क्र. एफ. 1–161/2008/25–1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा संवर्ग (तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय) सेवा में भर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ—**
   (1) ये नियम छत्तीसगढ़ जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा संवर्ग (तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय) सेवा नियम, 2011 कहलायेंगे।
   (2) ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** :— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—
   (क) सेवा या पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसे प्राधिकारी जिसे शासन ने सेवा या पद में नियुक्ति करने की शक्ति सौंपी गई हो या इसके पश्चात् सौंपी जाये;
   (ख) "विभागीय परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियुक्ति के लिए या विभाग के कर्मचारियों से किसी विशिष्ट पद को पदोन्नति से भरे जाने के लिये संचालित की जाने वाली परीक्षा ;

(ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा;

(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल,

(ड.) "सरकार" से अभिप्रेत छत्तीसगढ़ सरकार;

(च) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ 8–5 पच्चीस 4–84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़ा वर्ग ।"

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(झ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन भर्ती या पदोन्नति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत, छत्तीसगढ़ जनजाति तथा अंनुसूचित जाति कल्याण अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा संवर्ग (तृतीय वर्ग अलिपिकक वर्गीय) सेवा;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य ।

3. **विस्तार तथा लागू होना** – छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह नियम सेवा क प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन** – सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति समाविष्ट होंगे, अर्थात्:–

(एक) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अंनुसूची– एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण कर रहे हों ;

(दो) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गए हों; और

(तीन) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों ।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि**– सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट उपबंधो के अनुसार होगी;

परंतु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, समय–समय पर, या तो स्थाई या अस्थाई आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका** –

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती, निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :–

(क) प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा या मेरिट के आधार पर चयन तथा साक्षात्कार द्वारा;

(ख) अनुसची–चार में दर्शाए गए अनुसार सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि शासन द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उपनियम (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथाविनिर्दिष्ट पदों की संख्या के, अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनायी जाने वाली भर्ती का तरीका या तरीके या ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जायेगी।

(4) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी , छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन के पश्चात्, उक्त सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़ जिनको उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) सीधी भर्ती द्वारा पदों को भरे जाने के लिए मेरिट(गुणागुण) के आधार पर चयन के लिए मापदण्ड, शासन द्वारा निर्धारित किया जायेगा। तथापि विभागाध्यक्ष द्वारा एक चयन समिति गठित की जायेगी, जो इन मापदण्डों के अलावा अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगा ।

(6) भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के प्रावधान लागू होंगे ।

7. **सेवा में नियुक्ति**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम–6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती की पात्रता की शर्तें**– परीक्षा में प्रतियोगिता/चयन के लिए पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात्:–

(1) **आयु**–

(क) चयन के प्रारंभ होने की तारीख की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और अनुसूची–तीन के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित अभ्यर्थियों के लियें, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10(दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जायेगी :–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हों, 38(अड़तीस) वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए।

(दो) कार्यभारित कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में नियोजित व्यक्तियों सहित अस्थायी रूप से पद धारण करने वाले तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण स्थायी/अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7(सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3(तीन) वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण :– शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से द्योतक हैं, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्ही भी संघटक ईकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 (तीन) वर्ष पूर्व, स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से 3(तीन) वर्ष से अधिक न हों.

स्पष्टीकरण :– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक हैं, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 (तीन) वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी किया गया हो अथवा अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात् :–

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे समय पूर्व सेवा निवृत्त रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो ;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें;

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्ते पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(3) मद्रास सिविल इकाई के भूतपूर्व कार्मिक ;

(4) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हे उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है);

(5) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हे अवकाश रिक्तियों पर 6 (छः) माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) उन अभ्यर्थियों के लिये जो परिवार कल्याण कार्यकम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2(दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग विकास विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5(पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा में 5 (पांच) वर्ष की शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ राज्य/निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38(अड़तीस) वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी

(ञ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा, 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में

उनकी आयु 38 (अड़तीस) वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए तथा आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

टीप (1)– ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपर्युक्त खण्ड (घ) (एक) तथा (घ) (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन, परीक्षा/ चयन में प्रवेश दिया गया है, वे यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् या परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागं पत्र दे देते हैं, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छटनी कर दी जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(ट) उच्चतर आयु सीमा के संबंध में, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(ठ) किसी भी मामले में उपरोक्त उल्लिखित एक या एक से अधिक संवर्ग के अंतर्गत आयु में छूट दिये जाने के उपरान्त, शासकीय सेवा के लिये पात्र होने के लिये अधिकतम आयु 45 (पैतालीस) वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(2) **शैक्षणिक अर्हता**– अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिए, जैसा कि अनुसूची– तीन में दर्शाई गई हैं।

(3) **(फीस)**– अभ्यर्थी को शासन द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निर्हरता.**– अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा लिखित परीक्षा/चयन के लिए उसे निरर्हित माना जा सकेगा।

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्रधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा** – परीक्षा/ साक्षात्कार में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नही किया गया है, साक्षात्कार के लिए/परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

11. (1) **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती :– (1) प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती** नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा जिसमें तीन सदस्य समाविष्ट होंगे :

(एक) सेवा में भर्ती के लिए परीक्षा, ऐसे अंतरालों से ली जावेगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर शासन से परामर्श से अवधारित करे ।

(दो) परीक्षा, शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आयोजित की जायेगी।

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती :–**

(क) सेवा में भर्ती के लिये चयन, ऐसे अंतरालो से किया जायेगा जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर अवधारित करें ।

(ख) अभ्यर्थियों का चयन, चयन समिति द्वारा उनके साक्षात्कार के आधार पर किया जायेगा और

(ग) चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय समय पर, गठित की जायेगी ।

(3) अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित अभ्यर्थियों के लिये, सीधी भर्ती के प्रक्रम में पदों को, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियो और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क. 21 सन् 1994) मे अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षित रखा जायेगा ।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की जो अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडा वर्गो के सदस्य है, नियुक्ति के लिए उसी क्रम में

विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो ।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो से संबंधित उन अभ्यर्थियों को जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा ।

(6) छत्तीसगढ़–लोक सेवा (महिलाओ की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार सीधी भर्ती के प्रकम में तीस प्रतिशत पदों को महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेगा।

(7) ऐसे मामलों में, जहॉ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, तो नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा ।

(8) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पदों का आरक्षित किया जायेगा।

12. चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची :–

(1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के कम में व्यवस्थित एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हो जैसा कि चयन समिति अवधारित करें तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वगो से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिए समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किया गया हो, तैयार करेगी तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। यह सूची को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी ।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़, सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्ते) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्ययीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी कम में विचार किया जायेगा जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये है ।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिए कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जॉच करने के पश्चात जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है ।

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :–

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठित की जायेगी जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य समाविष्ट होंगे:

परंतु, पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में यदि पदोन्नति/चयन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर नामांकित सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जानजाति संवर्ग का प्रतिनिधि न हो तो समान प्रास्थिति के एक सदस्य जोस अनुसूचित जनजाति के संवर्ग से संबंधित हो, पदोन्नति/ चयन समिति में सम्मिलित किया जायेगा तथा पदोन्नति/चयन समिति के सदस्यों की संख्या में उस सीमा तक विस्तार किया जायेगा।

(2) अनुसूची– चार के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट पदों में, उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति, अभ्यर्थियें की पात्रता, चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 में यथाविनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार की जायेगी तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(3) समिति की बैठक ऐसे अंतरालों में होगी जो साधारणतया एक वर्ष से अधिक की न हो ।

(4) आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उपनियम (2) में उल्लिखित रीति तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी ।

14. पदोन्नति/स्थानांतरण के लिये पात्रता संबंधी शर्ते :–

(1) उप–नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को उन पदों में या उसके समतुल्य घोषित किन्ही अन्य पदों में (चाहे मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से) कम से कम इतने वर्षो की सेवा जो कि अनुसूची–चार के कॉलम (3) में उल्लिखित है, पूर्ण कर ली हो तथा उप–नियम (2) के प्रावधानों के अनुसार विचारण क्षेत्र के भीतर आते हों ।

स्पष्टीकरण–पदोन्नति के लिए अर्हता हेतु संगणना की रीति :– संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहुत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना, उस कलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं ।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति दी जायेगी ।

15. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना :–

(1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम 14 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिए उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी ।

(2) पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिए मापदण्ड, ज्येष्ठता–सह–उपयुक्तता पर आधारित होगा ।

(3) प्रत्येक चयन सूची के तैयारी के समय, चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची चार के कॉलम(2) में यथाविर्निदिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के कम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण :– ऐसा व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

16. चयन सूची :–

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची चार के कॉलम(2) में उल्लिखित पद से, उक्त अनुसूची के कॉलम (4)चार में उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी ।

(2) चयन सूची की विधिमान्यता, उस कैलेण्डर वर्ष जिसमें यह तैयार की जाती है, की तारीख से एक वर्ष की होगी ।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, शासन के कहने पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुर्नविलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा ।

17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :–

(1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियॉ, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार की जाएगी ।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख से बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो ।

18. **परिवीक्षा**— सेवा में सीधी भर्ती/पदोन्नत किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा ।

19. **निर्वचन**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।

20. **शिथिलीकरण**— इन नियमों में दी गई किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे उचित एवं साम्यपूर्ण प्रतीत हो, सीमित या कम करती है;

परन्तु, कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायेगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

21. **व्यावृत्ति**—इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए, राज्य शासन द्वारा इस संबंध में समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

22. **निरसन तथा व्यावृत्ति**—इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं;

परन्तु, इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, उप सचिव.

अनुसूची – एक
(नियम–4 एवं 5 देखिए)

छत्तीसगढ़ जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा संवर्ग (तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय) सेवा

क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कोच, क्रीड़ा परिसर	26	अलिपिक वर्गीय	9300–34800 ग्रेड वेतन 4300	आयुक्त, जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
2.	छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "स"		तदैव	9300–34800+ ग्रेड वेतन 4200	आयुक्त, जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
	पोस्ट मैट्रिक छात्रावास	200			
	प्री.मैट्रिक छात्रावास	33			
	आर्दश कन्या आश्रम	02			
	माध्यमिक आश्रम (100 सीटर)	59			
	माध्यमिक आश्रम (50 सीटर)	19			
	योग :–313				
3.	उच्च वर्ग शिक्षक		तदैव	9300–34800+ ग्रेड वेतन 4200	संबंधित जिले का कलेक्टर
	माध्यमिक शाला	25895			
	माध्यमिक आश्रम 100 सीटर	177			
	माध्यमिक आश्रम 50 सीटर	38			
	आदर्श उच्चतर माध्यमिक शाला	25			
	गरूकुल विद्यालय	02			
	उच्च वर्ग शिक्षक वाणिज्य गुरूकुल विद्यालय	01			
	कन्या शिक्षा परिसर (6– 12)	15			
	कन्या शिक्षा परिसर (1– 12)	10			
	योग:– 26163				
4.	छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "द"	1510	तदैव	5200–20200+ ग्रेड वेतन 2400	आयुक्त, जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
5.	काफ्ट शिक्षक, गुरूकुल	01	तदैव	9300–34800+ ग्रेड वेतन 4200	संबंधित जिले का कलेक्टर
6.	कृषि शिक्षक, उ.मा.वि.	72	तदैव	9300–34800+ ग्रेड वेतन 4200	संबंधित जिले का कलेक्टर
7.	व्यायाम शिक्षक	735	तदैव	9300–34800+ ग्रेड वेतन 4200	संबंधित जिले का कलेक्टर
8.	संगीत शिक्षक, उ.मा.वि	06	तदैव	9300–34800+ ग्रेड वेतन 4200	संबंधित जिले का कलेक्टर
	गुरूकुल उ.मा.वि.	01			
	कन्या शिक्षा परिसर (6–12)	03			
	कन्या शिक्षा परिसर (1–12)	02			
	योग :–12				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	तबला शिक्षक, उ.मा.वि. गुरूकुल उ.मा.वि. कन्या शिक्षा परिसर (6–12) कन्या शिक्षा परिसर (1–12) योग– 12	06 01 03 02	अलिपिक वर्गीय	9300–34800+ ग्रेड वेतन 4200	संबंधित जिले का कलेक्टर
10.	प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला माध्यमिक आश्रम (100 सीटर) माध्यमिक आश्रम (50 सीटर) कन्या शिक्षा परिसर (1– 12) योग :–17021	16941 59 19 02	तदैव	9300–34800+ ग्रेड वेतन 4200	संबंधित जिले का कलेक्टर
11.	सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला माध्यमिक आश्रम (100 सीटर) माध्यमिक आश्रम (50 सीटर) प्राथमिक आश्रम (100 सीटर) प्राथमिक आश्रम (50 सीटर) गुरूकुल विद्यालय (प्रा.शाला) कन्या शिक्षा परिसर (6–12) कन्या शिक्षा परिसर (1–12) योग :–40191	37719 118 19 603 1718 04 06 04	तदैव	5200–20200 + ग्रेड वेतन 2400	संबंधित जिले का कलेक्टर
12.	सहायक शिक्षक (विज्ञान) उ.मा.वि सहायक शिक्षक (विज्ञान) हाईस्कूल योग :–2238	1812 426	तदैव	5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	संबंधित जिले का कलेक्टर
13.	सहायक ग्रंथपाल (उ.मा.वि.) कन्या शिक्षा परिसर (6–12) कन्या शिक्षा परिसर (1–12) योग :–10	05 03 02	तदैव	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	संबंधित जिले का कलेक्टर
14.	ग्रंथपाल, उ.मा.वि. (उच्च वेतन/निम्न वेतन)	604	तदैव	5200–20200 ग्रेड वेतन 2800	आयुक्त, जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग .
15.	पुस्तपाल सहायक कन्या शिक्षा परिसर (6–12) कन्या शिक्षा परिसर (1–12) ग्रंथालय सहायक आदर्श उ.मा.वि. योग :–10	03 02 05	तदैव	5200–20200 ग्रेड वेतन 2400	आयुक्त, जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग .
16.	सहायक ग्रंथपाल गुरूकुल	01	तदैव	5200–20200 ग्रेड वेतन 2200	आयुक्त, जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग .
17.	उद्योग शिक्षक कन्या शिक्षा परिसर (6–12) कन्या शिक्षा परिसर (1–12) योग :–05	02 03	अलिपिक वर्गीय	9300–34800+ ग्रेड वेतन 4200	संबंधित जिले का कलेक्टर
18.	प्रयोगशाला सहायक (लेबोरेटरी असिस्टेंट) आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुरूकुल विद्यालय योग :–09	05 04	तदैव	5200–20200 ग्रेड वेतन 1900	संबंधित जिले का कलेक्टर

अनुसूची – दो
(नियम–6 देखिए)

छत्तीसगढ़ जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा संवर्ग (तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय) सेवा

स.क्र.	पद का नाम	पद की संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत		विशेष
			नियम 6–(1) (क) के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा	नियम 6–(1) (ख) के अनुसार सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	कोच, क्रीड़ा परिसर	26	–	100 %	
2.	छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "स"		–	100 %	
	पोस्ट मैट्रिक छात्रावास	200			
	प्री.मैट्रिक छात्रावास	33			
	आर्दश कन्या आश्रम	02			
	माध्यमिक आश्रम (100 सीटर)	59			
	माध्यमिक आश्रम (50 सीटर)	19			
	योग :–313				
3.	उच्च वर्ग शिक्षक				यदि जनजाति विभाग से नियमित सहायक शिक्षक उपलब्ध न हो, तो इन पदों को शिक्षा कर्मी वर्ग–2 जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो, से भरे जायेगें।
	माध्यमिक शाला	25895	50 %	50 %	
	माध्यमिक आश्रम 100 सीटर	177			
	माध्यमिक आश्रम 50 सीटर	38			
	आदर्श उच्चंतर माध्यमिक विद्यालय	25			
	गरूकुल विद्यालय				
	उच्च वर्ग शिक्षक वाणिज्य गुरुकुल विद्यालय	02			
	कन्या शिक्षा परिसर (6– 12)	01			
	कन्या शिक्षा परिसर (1 – 12)	15			
		10			
	योग:–26163				
4.	छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "द"	1510	100 %	–	
5.	काफ्ट शिक्षक, गुरूकुल	01	100 %	–	पद को पंचायत तथा नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा शिक्षा कर्मी वर्ग–2 (काफ्ट) से भरा जायेगा।
6.	कृषि शिक्षक, उ.मा.वि.	72	100 %	–	पद को पंचायत तथा नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा शिक्षा कर्मी वर्ग–2 (कृषि) से भरा जायेगा।
7.	व्यायाम शिक्षक	735	75 %	25 %	यदि नियमित सहायक शिक्षक उपलब्ध न हा, तो पदों को परीक्षा के माध्यम से शिक्षा कर्मी वर्ग–2 (व्यायाम शिक्षक) से भरे जायेंगे।
8.	संगीत शिक्षक, उ.मा.वि.	06	100 %	–	पद को पंचायत तथा नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा शिक्षा कर्मी वर्ग–2 (संगीत) से भरा जायेगा।
	गुरूकुल उ.मा.वि.	01			
	कन्या शिक्षा परिसर (6–12)	03			
	कन्या शिक्षा परिसर (1–12)	02			
	योग :–12				
9.	तबला शिक्षक, उ.मा.वि.	06	100 %	–	पद को पंचायत तथा नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा शिक्षा कर्मी वर्ग–2 (तबला) से भरा जायेगा।
	गुरूकुल उ.मा.वि.	01			
	कन्या शिक्षा परिसर (6–12)	03			
	कन्या शिक्षा परिसर (1–12)	02			
	योग– 12				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला माध्यमिक आश्रम (100 सीटर) माध्यमिक आश्रम (50 सीटर), कन्या शिक्षा परिसर (1– 12)	 16941 59 19 02	–	100 %	यदि जनजाति विभाग से सहायक शिक्षक उपलब्ध न हो, तो इन पदों को शिक्षाकर्मी वर्ग 1, 2 एं 3 जो 7 वर्ष का अनुभव रखते हों, से परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।
	योग :–17021				
11.	सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला माध्यमिक आश्रम (100 सीटर) माध्यमिक आश्रम (50 सीटर) प्राथमिक आश्रम (100 सीटर) प्राथमिक आश्रम (50 सीटर) गुरूकुल विद्यालय (प्रा.शाला) कन्या शिक्षा परिसर (6–12) कन्या शिक्षा परिसर (1–12)	 37719 118 19 603 1718 04 06 04	100%	–	पदों को पंचायत तथा नगरी प्रशासन विभाग से शिक्षा कर्मी वर्ग–3 से की जायेंगे।
	योग :–40191				
12.	सहायक शिक्षक (विज्ञान) आदर्श उ. मा.वि सहायक शिक्षक (विज्ञान) हाईस्कूल	 1812 426	100%	–	पदों को पंचायत तथा नगरी प्रशासन विभाग से शिक्षा कर्मी वर्ग–3 से की जायेंगे।
	योग :–2238				
13.	सहायक ग्रंथपाल (आ.उ.मा) कन्या शिक्षा परिसर (6–12) कन्या शिक्षा परिसर (1–12)	05 03 02	100%	–	
	योग :–10				
14.	ग्रंथपाल, उ.मा.वि. (उच्च वेतन/ निम्न वेतन	604	–	100%	
15.	पुस्तपाल सहायक (बुक कीपिंग असिस्टेंट) कन्या शिक्षा परिसर (6–12) कन्या शिक्षा परिसर (1–12) ग्रंथालय सहा. आदर्श उ.मा.वि.	 03 02 05	100%	–	
	योग :–10				
16.	सहायक ग्रंथपाल गुरूकुल	01	100%		
17.	उद्योग शिक्षक कन्या शिक्षा परिसर (6–12) कन्या शिक्षा परिसर (1–12)	 02 03	100%		पदों को पंचाथत तथा नगरीग प्रशासन विभाग से शिक्षा कर्मी वर्ग–2 (उद्योग) से भरे जायेंगे।
	योग :–05				
18.	प्रयोगशाला सहायक (लेबोरेटरी असिस्टेंट) आदर्श उच्चतर माध्यमि विद्यालय गुरूकुल विद्यालय	 05 04	100 %		
	योग :–09				

अनुसूची–तीन
(नियम–8 से 13 देखिए)

छत्तीसगढ़ जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण अधीनस्थ शैक्षणिक सेवा संवर्ग, (तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय) सेवा

क्र	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा वर्ष	अधिकतम आयु सीमा वर्ष	शैक्षणिक योग्यता	चयन समिति के सदस्यों के नाम	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	उच्च वर्ग शिक्षक माध्यमिक शाला माध्यमिक आश्रम 100 सीटर माध्यमिक आश्रम 50 सीटर आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गरूकुल विद्यालय उच्च वर्ग शिक्षक वाणिज्य गुरूकुल विद्यालय कन्या शिक्षा परिसर (6– 12) कन्या शिक्षा परिसर (1 – 12)	21	35	कला, विज्ञान, वाणिज्य में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए तथा डी.एड./बी.एड./बीएल.एड. प्रशिक्षण प्रमाणपत्र धारक होना चाहिए।	—	उच्च वर्ग शिक्षक विषयवार
2.	छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "द"	21	35	10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा कम्प्यूटर प्रशिक्षित को अधिमान्यता दी जायेगी।	—	
3.	क्राफ्ट शिक्षक, गुरूकुल	21	35	मान्यता प्राप्त विश्व–विद्यालय से क्राफ्ट में डिग्री/डिप्लोमा धारक होना चाहिए।		
4.	कृषि शिक्षक, उ.मा.वि.	21	35	मान्यता प्राप्त विश्व–विद्यालय से कृषि में डिग्री/डिप्लोमा धारक होना चाहिए।		
5.	व्यायाम शिक्षक	21	35	1. हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण या समकक्ष होना चाहिए। 2. शारीरिक प्रशिक्षण/डी.पी.एड. में डिप्लोमा अथवा प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए।		
6.	संगीत शिक्षक, उ.मा.वि. गुरूकुल उ.मा.वि. कन्या शिक्षा परिसर (6–12) कन्या शिक्षा परिसर (1–12)	21	35	मान्यता प्राप्त विश्व–विद्यालय से, संगीत में डिग्री/डिप्लोमा धारक होना चाहिए।		
7.	तबला शिक्षक, उ.मा.वि. गुरूकुल उ.मा.वि. कन्या शिक्षा परिसर (6–12) कन्या शिक्षा परिसर (1–12)	21	35	मान्यता प्राप्त विश्व–विद्यालय से तबला विषय में डिग्री/डिप्लोमा धारक होना चाहिए।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला माध्यमिक आश्रम (100 सीटर) माध्यमिक आश्रम (50 सीटर) प्राथमिक आश्रम (100 सीटर) प्राथमिक आश्रम (50 सीटर) गुरूकुल विद्यालय (प्राथमिक शाला) कन्या शिक्षा परिसर (6–12) कन्या शिक्षा परिसर (1–12)	21	35	1. हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण या समकक्ष होना चाहिए। 2. डी.एड. / डी.एल.एड. प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए।		
9.	सहायक शिक्षक (विज्ञान) आदर्श उ.मा.वि सहायक शिक्षक (विज्ञान) हाईस्कूल	21	35	1. हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण या समकक्ष होना चाहिए। 2. डी.एड. / डी.एल.एड. प्रशिक्षण प्रमाण पत्र धारक होना चाहिए।		
10.	सहायक ग्रंथपाल (आदर्श उ.मा.वि.) कन्या शिक्षा परिसर (6–12) कन्या शिक्षा परिसर (1–12)	21	35	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री और पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा धारक होना चाहिए।	1 आयुक्त / संचालक–अध्यक्ष 2. अपर संचालक (प्रशासन)– सदस्य 3. उपायुक्त (सामान्य स्थापना) – सदस्य 4. उपायुक्त (शिक्षा स्थापना)– सदस्य सचिव	
11.	पुस्तपाल सहायक (बुक कीपिंग असिस्टेंट) कन्या शिक्षा परिसर (6–12) कन्या शिक्षा परिसर (1–12) ग्रंथालय सहा. आदर्श उ.मा.वि.	21	35	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री और पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा धारक होना चाहिए।	तदैव	
12.	सहायक ग्रंथपाल गुरूकुल	21	35	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री और पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा धारक होना चाहिए।	1. आयुक्त / संचालक– अध्यक्ष 2. अपर संचालक (प्रशासन)– सदस्य 3. उपायुक्त (सामान्य स्थापना) – सदस्य 4. उपायुक्त (शिक्षा स्थापना)– सदस्य सचिव	
13.	उद्योग शिक्षक कन्या शिक्षा परिसर (6–12) कन्या शिक्षा परिसर (1–12)	21	35	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उद्योग विषय में डिग्री / डिप्लोमा धारक होना चाहिए।	तदैव	
14.	प्रयोयशाला सहायक (लेबोरेटरी असिस्टेंट) आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गुरूकुल विद्यालय	21	35	विज्ञान विषय के साथ 10+2 पद्धति से हायर सेण्डरी उत्तीर्ण होना चाहिए।	तदैव	

अनुसूची—चार
नियम (नियम 8 देखिए)

छत्तीसगढ़ जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण शैक्षणिक सेवा संवर्ग, (तृतीय श्रेणी अलिपिक वर्गीय) सेवा

क.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	सेवा की न्यूनतम अवधि	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति का नाम	विशेष अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	व्यायाम शिक्षक जिन्होने एन.आय.एस.या एम.पी.एस. डिप्लोमा उत्तीर्ण की हो	5 वर्ष	कोच, कीड़ा परिसर, स्पोर्ट काम्प्लेक्स	1. आयुक्त / संचालक— अध्यक्ष 2. अपर संचालक (प्रशासन)— सदस्य 3. उपायुक्त (सामान्य स्थापना) — सदस्य 4. उपायुक्त (शैक्षणिक स्थापना)— सदस्य सचिव	
2	छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "द"	5 वर्ष	छात्रावास अधीक्षक श्रेणी "स"	तदैव	
3	सहायक शिक्षक, प्राथमिक शाला / छात्रावास / आश्रम	5 वर्ष	उच्च श्रेणी शिक्षक / प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला / आश्रम स्कूल	1. कलेक्टर — अध्यक्ष 2. सहायक आयुक्त, जनजाति कल्याण — सदस्य सचिव 3. सहायक संचालक —सदस्य 4. विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी— सदस्य 5. प्राचार्य शासकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय —सदस्य	
4	सहायक शिक्षक / सहायक शिक्षक (विज्ञान)	5 वर्ष	प्रधान पाठक, प्राथमिक शाला	तदैव	
5	सहायक ग्रंथपाल (कन्या शिक्षा परिसर)	5 वर्ष	ग्रंथपाल, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक	तदैव	
6	सहायक ग्रंथपाल प्रभारी, गुरूकुल	5 वर्ष	सहायक ग्रंथपाल (कन्या शिक्षा परिसर)..	तदैव	

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर, 2011

क्रमांक एफ 1—161 / 2008 / 25 / 1. —भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्या दिनांक 28 सितम्बर, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, उप—सचिव.

Raipur, the 28th September 2011

NOTIFICATION

No. F-1-161/2008/25-1. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the Recruitment to the services of Chhattisgarh Tribal and Scheduled Castes Welfare Sub-ordinate Educational Service Cadre (Class-III Non Ministerial), namely:-

RULES

1. **Short title and commencement:-**

(1) These Rules may be called the Chhattisgarh Tribal and Scheduled Castes Welfare Sub-ordinate Educational Service Cadre (Class-III Non Ministerial), Service Rules, 2011

(2) These Rules shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definition:-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) **"Appointing Authority"** in respect of a service means such authority to whom the Government has conferred the power to appointment to the service or post or may be conferred later.

(b) **"Departmental Examination"** means examination conducted for appointment or promotion to fill up paricular post from the employees of the department;

(c) **"Examination"** means competitive examination for recruitment under rule 11;

(d) **"Governor"** means the Governor of Chhattisgarh;

(e) **"Government"** means the Government of Chhattisgarh;

(f) **"Other Backward Classes"** means Other Backward Classes of citizens as specified by the State government vide notification no. F 8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended time to time;

(g) **"Scheduled Castes"** means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India ;

(h) **"Scheduled Tribes"** means the Scheduled Tribes as specified in relation to this under Article 342 of the Constitution of India ;.

(i) **"Selection Committee"** means a Selection Committee consitited by the Appointing Authority for recruitment or promotion under these rules;

(j) **"Service"** means Chhattisgarh Tribal and Scheduled Caste Welfare Sub-ordinate Educational Service Cadre (Class-III Non Ministerial), Service ;

(k) **"State"** means State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application**- Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of service.

4. **Constitution of the Service**- Services shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in schedule-I.

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and

(3) Persons, recruited to the services in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Pay scales etc**:- The classification of service, the scale of pay attached thereto and number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time add to or reduce the number of posts included in the service either on a permanent or temporary basis

6. **Method of Recruitment** –

(1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by following methods, namely:-

(a) by direct recruitment by competitive examination or by selection on merit basis and interview ;

(b) by promotion of members of the service as shown in as mentioned in schedule IV;

(c) by transfer of persons who hold such post in a substantive capacity in such service as specified in this behalf by the Government.

(2) The number of persons to be recruited as under clause (b) or (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of posts as specified in schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule(1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, the Appointing Authority may, after approval of the Government of Chhattisgarh, General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the sub-rule(1), as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) Criteria for selection on merit basis for filling the post by direct recruitment shall be fixed by the Government, However, Head of the Department should set-up a Selection Committee which can adopt other reasonable criteria instead of these criteria with the consent of the Government.

(6) At the time of recruitment the provisions of Chhattisgarh Pulic Service (Schedule castes, Schedule Tribe and Other Backward Classes Reservations)Act, 1994 shall be applicable.

7. **Appointment to the Service.** - All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Appointing Authority and no such appointments shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment**,-In order to be eligible to compete at the examination/ selection, a candidate must fulfill the following conditions, namely:-

(1) **Age.**

(a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule -III and must not have attained the age as specified in column (4) of schedule III on the first day of January, next following the date of commencement of the selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 (five) years for the candidate belonging to a Scheduled Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 10(ten) years to the women candidates in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Service (Special Provision for Appointment of Women) Rule 1997.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in the respect of candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate who is a permanent Government servant should not be above the age of 38 (thiryt eight) years.

(ii) A candidate holding a temporary post incl ling work charge employees, contingency paid employees, and person employed in project implementing committee, applies for any other post should not be moer than 38 (thiry eight) years of age.

(iii) A candidate who is "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all permanent / temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7(seven) years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3(three) years.

Explanation: The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this state or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment for not more than 3(three) years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 (three) years.

Explanation: The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than 3(three) years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service,namely:-

(i) Ex-serviceman released under mustering out concessions;

(ii) Ex-serviceman who is enrolled for the second time and discharged on-
(a) Completion of short term engagement;
(b) Fulfilling the conditions of enrolment.

(iii) Ex-serviceman of Madras Civil Unit.

(iv) Ex-serviceman (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers);

(v) Ex-serviceman discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;

(vi) Ex-serviceman invalidated out of service;

(vii) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(viii) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gun-short, wounds etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 2 (two) years for those candidates who are holding Green card under the Family Welfare Programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable upto 5(five) years in respect of awarded superior caste partner of a couple awarded under the Inter-Caste Marriage Incentive Scheme of the Schedule Castes, Schedule Tribes and Other Backward Classes Development Department.

(h) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 (five) years in respect of Saheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Samman, Maharaja Praveer Chand Samman holder candidates and National Youth Award holders young holder candidates.

(i) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 38(thirty eight) years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State / Corporation / Boards.

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of Voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by them, subject to the limit of 8(eight) years but no case their age should exceed 38(thiry eight) years and the instruction issued from time to time by the General Administration Department regarding age limit will be applicable.

Note: (i) Candidates who are admitted to the examination/ selection under the concessions mentioned in clause (d) (i) and(d) (ii) above shall not be eligible for appointment, if after submitting the application they resign from service either before or after examination / selection. They will however continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(k) In respect to upper age limit the directive of Appointing Authority issued from time to time will also be applicable.

(l) In any case the maximum age to get eligible for Government job shall not exceed 45 (forty five) years, irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above.

(2) **Educational Qualification** - The candidate must possess the educational qualifications prescribed for service as shown in schedule-III.

(3) **Fees** - The candidate must pay the fees prescribed by Government.

9. **Disqualification: -** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his andidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for written examination/ selection.

10. **Appointing Authority's decision about the eligibility of candidate shall be final** - The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination / interview shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed for appearing in the examination/ interviewed.

11. **(1) Direct Recruitment by competitive Examination/Selection** - (1) Direct Recruitment by competitive Examination- Appointing Authority shall constitute a selection committee comprising of three members.

(i) The examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority, may determine, in consulation with the Government, from time to time.

(ii) The examination shall be conducted by the Appointing Authority in accordance with such orders issused by the Government from time to time.

(2) Direct recruitment by selection:

(a) The selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may .

(b) The selection of the candidates shall be done by the Selection Committee on their interview; and

(iii) The selection committee shall be constituted by the Appointing Authority from time to time

(3) There shall be reserved post for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment, in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Public Service (Sheduled Castes, Sheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act 1994 (No. 21 of 1994) and as per the orders issued by the Government from time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes selected by the Appointment Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(6) At the stage of direct recruitment thirty percent post shall be reserved for women candidates in accordance with the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(7) Where certain period experience has been prescribed as an essential condition for filling up the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority, that sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available in sufficient number, then the Appointing Authority may relax the condition of experience to the candidates of Schedule Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(8) There shall be reserve post for diasbled candidate in accordance with the directions issued by the General Administrative Department.

12. List of candidates recommended by the Selection Committee.-

(1) The Selection Committee shall prepare and forwar a list to the Appointing Authority arranged in the order of merit with of candidates who have qualified by such standards as may be determined by the Selection Committee and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by the standards, but are declared by the committee to be suitable for appointment to the service, with due regards to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Service (General Conditions and Service) Rules, 1961,candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of the candidate's name in the list confer no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

13. Appointment by promotion –

(1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule IV for making preliminary selection for promotion of eligible candidates.

Provided that if the nomination member other than the member presiding the promotion/ Selection Committee in respect of the posts to be filled up by promotion [illegible] not represent the category of Schedule Castes or Sheduled Tribes then the one member belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes category to the same status shall [illegible] included in the Promotion/ Selection Committee shall be extended to the limit.

(2) The promotion of the members of service specified in column (2) of Schedule IV [illegible] posts as specifie in column (4) there of, the eligibility of candidate, selection [illegible] and appointment by promotion shall be in accordance with the provisions as [illegible] in Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rule, 2003 and the instrctions issued by [illegible] General Administration Department of the Government from time to time, shall [illegible]

(3) The Committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(4) Procedure for making promotions in the reserved vacancies shall be in accordance with the methods described in sub-rule (2) an instructions issued by the General Administration Department from time to time.

14. Conditions of eligibility for promotion/transfer-

(1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the Committee shall consider the cases of all persons, who on the first day of January of that year had completed not less than such

number of years of service as mentione in column (3) of Schedule- IV on those posts(whether officiating or substantive) or any other post declared equivalent thereto and are within the zone of consideration, accordance with the provisions of sub-rule (2)

Explanation:- Method of calculation for qualification or Promotion: The calculation of period of qualifying services on Ist. January of the year in which the departmental promotion committee/scrutiny committee is called, shall be calculated from the calender year in which the public servant has joined the feeder cadre/ part of service/ pay scale of the post and not from the date of joining the feeder cadre/ part of service/ pay scale.

(2) The promotion shall be according to the reservation roaster prescribed in Chhattisgarh Civil Service (Promotion) Rule. 2003.

15. Preparation of list of suitable candidates:-

(1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the conditions prescribed in rule 14 and as are held by the Committee to be suitable for promotion/transfer to the service, the list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotions during the course of one year from the date of preparation of the select list.

(2) The criteria for preparation of select list of persons for promotion shall be based on seniority subject to fitness.

(3) The names of the employees included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule- IV at the time of preparation of each selection list.

Explanation- A person whose name is included in a selection list, but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those person considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. Selection list –

(1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall be Select list for promotion of the members of service from the posts mentioned in column (2) of schedule- IV to the posts mentioned in column (4) of the said schedule.

(2) The validity of the selection list will be one year from the date of that calendar year in which it is prepared.

Provided that in event of a grave lapse in the conduct or performance of the duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and if it thinks fit, may remove the name of such person from the select list.

17. Appointment to the service from the select list-

(1) Appointment of the employees included in the select list shall be made to the post of service-cadre according to Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the dates of his proposed appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. **Probation.**- Every persons directly recruited/promoted to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. **Interpretation-** If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equitable:

Provided that a case shall not be dealt in any manner which is less favorable to him than that provided in these rules.

21. **Savings-** Nothing in these rules shall effect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

22. **Repeal and Saving.**- (a) All rules corresponding to these rules and enforced immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules;

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

By order and in the name of Governor of Chhattisgarh,
D. D. KUNJAM, Deputy Secretary.

SCHEDULE –I
(See Rule 4 & 5)

Chhattisgarh Tribal and Scheduled Caste Welfare Sub-ordinate Educational Service Cadre (Class-III Non Ministerial), Service

Sl. No.	Name of Post included in the service	Number of Posts	Classification	Pay-Scale	Appointing Authority
1	2	3	4	5	6
1	Coach, sports campus	26	Non ministerial	9300-34800 +Grade Pay 4300	Commissioner, Tribal and Schedule Caste Welfare Department
2	Hostel Superintendent Grade 'C' Post Matric Hostel Pre-Matric Hostel Model Girls Ashram Middle Ashram (100 seater) Middle Ashram (50 seater) Total : 313	 200 33 02 59 19	-----do-----	9300-34800 + Grade Pay 4200	Commissioner, Tribal and Schedule Caste Welfare Department
3.	Upper Division Teacher Middle school Middle Ashram(100 seater) Middle Ashram (50 seater) Model Higher Secondary school Gurukul Vidyalaya UDT Commerce Gurukul Vid. Girls Education Campus (6-12) Girls Education Campus (1-12) Total :26163	 25895 177 38 25 02 01 15 10	-----do-----	9300-34800 + Grade Pay 4200	Collector of respective District
4.	Hostel Superintendent Grade 'D'	1510	-----do-----	5200-20200 + Grade Pay 2400	Commissioner, Tribal and Schedule Caste Welfare Department
5.	Crafts Teacher, Gurukul	01	------do---- -	9300-34800 + Grade Pay 4200	Collector of respective District
6.	Agriculture Teacher, HSS.	72	-------do--- ---	9300-34800 + Grade Pay 4200	Collector of respective District
7.	Physical Exercise teacher	735	------do---- --	9300-34800 + Grade Pay 4200	Collector of respective District
8.	Music Teacher, HSS Gurukul HSS Girls Education campus (6-12) Girls Education campus (1-12) Total :12	06 01 03 02	-----do-----	9300-34800 + Grade Pay 4200	Collector of respective District
9.	Tabala Teacher, HSS Gurukul, HSS Girls Education campus (6-12) Girls Education campus (1-12) Total :12	06 01 03 02	----do----	9300-34800 + Grade Pay 4200	Collector of respective District

1	2	3	4	5	6
10	Head Master Primary School Middle Hostel (100 seater) Middle Hostel (50 seater) Girls Education Campus (1-12) Total :17021	16941 59 19 02	---do---	9300-34800 + Grade Pay 4200	Collector of respective District
11	Assistant Teacher Primary school Middle Ashram (100 seater) Middle Ashram (50 seater) Primary Ashram(100 seater) Primary Ashram(50 seater) Gurukul vidyalaya (Pri. School) Girls Education Campus (6-12) Girls Education Campus (1-12) Total :40191	37719 118 19 603 1718 04 06 04	----do---	5200-20200 + Grade Pay 2400	Collector of respective District
12	Assistant Teacher (Science) HSS Assistant teacher (Science) High school Total: 2238	1812 426	----do----	5200-20200 + Grade Pay 2400	Collector of respective District
13	Assistant Librarian (HSS) Girls Education campus (6-12) Girls Education campus (1-12) Total :10	05 03 02	-----do----	5200-20200 + Grade Pay 2800	Collector of respective District
14	Librarian HSS (Upper scale/lower scale	604	---do---	5200-20200 + Grade Pay 2800	Commissioner, Tribal and Schedule Caste Welfare Department
15	Book Keeping Assistant Girls Education Campus (6-12) Girls Education Campus (1-12) Librarian Asstt. Mod.HSS Total :10	03 02 05	----do----	5200-20200 + Grade Pay 2400	Commissioner, Tribal and Schedule Caste Welfare Department
16	Assistant Librarian Gurukul	01	----do----	5200-20200 + Grade Pay 2200	Commissioner, Tribal and Schedule Caste Welfare Department
17	Industries Teacher Girls Education Campus (6-12) Girls Education Campus (1-12) Total :05	02 03	----do---	9300-34800 + Grade Pay 4200	Collector of respective District
18	Laboratory Assistant Model Higher Sec. School Gurukul Vidyalaya Total :09	05 04	---do---	5200-20200 +GP 1900	Collector of respective District

SCHEDULE –II
(See Rule 6)

Chhattisgarh Tribal and Scheduled Caste Welfare Subordinate Educational Service Cadre (Class-III Non Ministerial), Service

Sl. No.	Name of Post	No. of Post	Percentage of post to be filled		Remarks
			By direct recruitment as per rule 6(1)(a)	By promotion of member of service as per rule 6(1)(b)	
1	2	3	4	5	6
1	Coach. sports campus	26	--	100%	
2	Hostel Superintendent Grade 'C' Post Matric Hostel Pre-matric Hostel Model girls Hostel Middle Ashram (100 seater) Middle Ashram(50 seater) Total :313	200 33 02 59 19	--	100%	
3.	Upper Division Teacher Middle school Middle Ashram(100 seater) Middle Ashram (50 seater) Model Higher Sec. School Gurukul Vidyalaya UDT Commerce Gurukul Vid. Girls Education campus (6-12) Girls Education campus (1-12) Total :26163	25895 177 38 25 02 01 15 10	50%	50%	If regular Assistant Teachers from Tribal Departmen. are not available then these post will be filled by shiksha karmi Grade 2 who have 7 years experience
4.	Hostel Superintendent Grade 'D'	1510	100%	--	
5.	Crafts Teacher, Gurukul	01	100%	--	Post will be filled by Panchayat and Urban Administration Department from shiksha karmi Grade 2 (crafts)
[illegible]	Agriculture Teacher. HSS.	72	100%	--	Post will be filled by Panchayat and Urban Administration deptt from shiksha karmi Grade 2 (Agriculture)
[illegible]	Physical Exercise teacher	735	75%	25%	If regular Asstt. Teachers are not available then the posts will be filled by shiksha karmi Grade 2 (Physical Teacher) through an examination.

1	2	3	4	5	6
8.	Music teacher, HSS Gurukul HSS Girls Education campus (6-12) Girls Education campus (1-12) Total :12	06 01 03 02	100%	--	Post will be filled by Panchayat and Urban Administration Department from shikshakarmi Grade 2 (Music.)
9.	Tabala teacher, HSS Gurukul, HSS Girls Education campus (6-12) Girls Education campus (1-12) Total :12	06 01 03 02	100%	--	Post will be filled by Panchayat and Urban Administration deptt from shiksha karmi Grade 2 (Tabla)
10	Head Master Primary school Middle Ashram(100 seater) Middle Ashram (50 seater) Girls Education campus (1-12) Total :17021	 16941 59 19 02	--	100%	If Assistant Teachers from the Tribal Department. are not available then the posts will be filled by direct recruitment through an examination from shikshakarmi Grade-1, 2 and 3 who are having 7 years experience
11	Assistant Teacher Primary school Middle Ashram(100 seater) Middle Ashram (50 seater) Primary Ashram(100 seater) Primary Ashram(50 seater) Gurukul vidyalaya (Primary School) Girls Education campus (6-12) Girls Education campus (1-12) Total :40191	 37719 118 19 603 1718 04 06 04	100%	--	Posts will be filled by shikshakarmi Grade 3 from Panchayat and Urban Administration Department
12	Assistant Teacher (Science) Model HSS Assistant teacher (Science) High school Total: 2238	 1812 426	100%	--	Posts will be filled by shikshakarmi Grade 3 from Panchayat and Urban Administration Department
13	Assistant Librarian (HSS) Girls Education campus (6-12) Girls Education campus (1-12) Total :10	05 03 02	100%		
14	Librarian HSS (Upper scale/ lower scale	604	--	100%	
15	Book keeping assistant Girls Education campus (6-12) Girls Education campus (1-12) Librarian Asstt. Mod.HSS Total : 10	 03 02 05	100%	--	
16	Assistant Librarian Gurukul	01	100%	--	
17	Industries Teacher Girls Education campus (6-12) Girls Education campus (1-12) Total :05	 02 03	100%	--	Posts will be filled by shiksha karmi Grade 2 (Industry) from Panchayat and Urban Administration Department
18	Laboratory Assistant Model Higher Sec. School Gurukul Vidyalaya Total :09	 05 04	100%	--	

SCHEDULE – III
(See Rule 8 to 13)

Chhattisgarh Tribal and Scheduled Caste Welfare Sub-ordinate Educational Service Cadre (Class-III Non Ministerial), Service

S.No.	Name of Post	Mini. Age limit	Max. age limit	Educational Qualification	Name of Members of Selection Committee	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1	U er Divn. Teacher M lle school M. dle hostel (100 seater) Middle hostel (50 seater) Model Higher Sec. school Gurukul Vidyalaya UDT Commerce Gurukul Vidyalal Girls Education campus(6-12) Girls Education campus(1-12)	21	35	Should be Graduate in Art, Science, Commerce and possess D.Ed./B.Ed/ B.L.Ed training certificate.		Subject wise Upper Grade Teacher
2.	Hostel Superintendent Grade D	21	35	Should have passed Higher Secondary (10+2) pattern, preference will be given who has in computers		
3	Crafts Teacher Gurukul	21	35	Should have possess Degree/Diploma in Crafts from recognized university		
4	Agriculture Teacher HSS	21	35	Should have possess Degree/Diploma in Agriculture from recognized university		
5	Physical Exercise Teacher	21	35	1. Should have passed higher secondary or equivalent. 2. Should have possess Diploma or Certificate in Physical Training./ D.P.Ed		
6	Music teacher, HSS Gurukul HSS Girls Education Campus (6-12) Girls Education Campus (1-12)	21	35	Should have possess a degree or diploma in Music from recognized University		
7	Tabala teacher, HSS Gurukul, HSS Girls Education campus (6-12) Girls Education campus (1-12)	21	35	Should have possess a degree or diploma in Tabla subject from recognized University.		
8	Assistant Teacher Primary school Middle hostel (100 seater) Middle hostel(50 seater) Primary hostel (100 seater) Primary hostel (50 seater) Gurukul vidyalaya (Pri. School) Girls Education campus (6-12) Girls Education campus (1-12)	21	35	1.Should have passed Higher Secondary or equivalent. 2. Should have possess D.Ed / D.L.Ed training certificate.		

1	2	3	4	5	6	7
9	Assistant Teacher (Science) Model HSS Assistant teacher (Science) High school	21	35	1. Pass higher secondary or equivalent. 2. Should have D.Ed/ D.L.Ed training certificate.		
10	Assistant Librarian (Model HSS) Girls Education campus (6-12) Girls Education campus (1-12)	21	35	Should have possess a degree from recognized University and degree in Library Science or Diploma	1. Commissioner/ Director-Chairman 2. Additional. Director (Administration)-Member 3. Deputy Commissioner (General Establishment.)-. Member 4.Dupty Commissioner (Educational.Establist ment.)- Member Secretary	—
11	Book keeping assistant Girls Education campus (6-12) Girls Education campus (1-12) Librarian Assistant Model HSS	21	35	Should have possess a degree from recognized University and degree in Library Science or Diploma	--------do--------	
12	Assistant Librarian Gurukul	21	35	Should have possess a degree from recognized University and degree in Library Science or Diploma	---------do--------	
13	Industries Teacher Girls Education campus (6-12) Girls Education campus (1-12)	21	35	Should have possess a degree or diploma in Industry subject from recognized University	---------do--------	
14	Laboratory Assistant Model Higher Seconary School Gurukul Vidyalaya	21	35	Should have passed Higher Secondary (10+2 system) with science subject		

Schedule – IV
(See Rule 8)

Chhattisgarh Tribal and Scheduled Caste Welfare Sub-ordinate Educational Service cadre (Class-III Non Ministerial), Service

S.No.	Name of service or post from which promotion is to be made	Minimum period of service	Name of Post to which promotion is to be made	Name of Departmental Promotion Committee	Remarks
1	2	3	4	5	6
1	Physical Training Teacher who has passed diploma course in NIS or M.P.Ed	05years	Coach, sport campus, sport complex	1 Commissioner/Director-Chairman 2. Additional Director (Administration)-Member 3. Deputy Commissioner (General Establishment.)-Member 4.Deputy Commissioner (Educational Establishment.)-Member Secretary	
2.	Hostel Superintendent Grade "D"	05 years	Hostel Superintendent Grade "C"	---do---	
3.	Assistant Teacher Primary School/ Hostel/Ashram	05 years	Upper Division. Teacher/Head Master, Primary School/Ashram School	1. Collector – Chairman 2. Assistant Commissioner, Tribal Welfare- Member Secretary 3. Assistant Director – Member 4. Block Development Education Officer- Member 5. Principal Government. Higher Secondary School-Member	
4	Assistant Teacher/Assistant Teacher (Science)	05 years	Head Master, Primary school	---do--	
5.	Assistant Librarian (Girls Education Campus)	05 years	Librarian Higher Secondary Teacher	---do--	
6.	Assistant Library Incharge Gurukul	05 years	Assistant Librarian (Girls Education Campus)	---do--	

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.